राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 कब लागू हुआ?

सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 को 10 सितम्बर, 2013 को अधिसूचित किया है। यह माना गया है कि यह 5 जुलाई, 2013 को लागू हुआ है, यह वह तारीख है जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 को प्रख्यापित किया गया था।

तथापि एनएफएसए में राज्य सरकारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत कवर किए जाने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए एक वर्ष अर्थात 4.7.2014 तक की अवधि प्रदान की गई थी।

2. एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों के लिए कौन-कौन हकदार है?

अभिज्ञात पात्र परिवारों से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति टीपीडीएस के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

विद्यमान अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार, जिनमें निर्धनतम व्यक्ति शामिल हैं, प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न प्राप्त करते रहेंगे।

3. हकदार लाभभोगियों को खाद्यान्न किस मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएंगे?

अधिनियम के तहत टीपीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए चावल, गेहूं और मोटे अनाजों क्रमश: 3, 2 और 1 रूपए प्रति किलोग्राम की राजसहायता प्राप्त मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तत्पश्चात मूल्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्यों के साथ उचित रूप से जोड़ा जाएगा।

4. क्या देश की समग्र जनसंख्या को अधिनियम के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कवर किया गया है?

अधिनियम के तहत 75 प्रतिशत तक ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत तक शहरी जनसंख्या को टीपीडीएस के अंतर्गत कवर किया जाएगा, इस प्रकार देश की लगभग दो तिहाई जनसंख्या कवर होती है।

5. क्या टीपीडीएस के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के लिए ग्रामीण/शहरी जनसंख्या के लिए 75% / 50% का कवरेज सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एकरूप से लागू है?

जी नहीं, ग्रामीण/शहरी जनसंख्या के लिए 75% /50% का कवरेज अखिल भारतीय स्तर पर है जिसके अनुरूप केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यवार कवरेज निर्धारित किया

गया है।

6. एनएफएसए के अंतर्गत टीपीडीएस के तहत राज्यवार कवरेज का निर्धारण करने का आधार क्या है और राज्यवार कवरेज का प्रतिशत कितना है?

योजना आयोग (अब नीति आयोग) ने 2011-12 एनएसएसओ परिवार खपत सर्वेक्षण आंकड़ो का उपयोग करते हुए राज्यवार कवरेज का निर्धारण किया है। एनएफएसए के अंतर्गत टीपीडीएस के तहत राज्यवार जनसंख्या का कवरेज प्रतिशत परिशिष्ट 1 पर दिया गया है।

7. टीपीडीएस के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र परिवारों को कैसे और किसके द्वारा अभिज्ञात किया जाएगा?

प्रत्येक राज्य के लिए टीपीडीएस के अंतर्गत निर्धारित कवरेज के भीतर पात्र परिवारों की पहचान का कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना है। राज्य एएवाई परिवारों की पहचान एएवाई स्कीम में लागू दिशानिर्देशों के अनुसार और शेष परिवारों की पहचान अपने दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता परिवारों के रूप में करेंगें। यह पहचान कार्य राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 365 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना था।

8. अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रारंभ होने /टीपीडीएस के अंतर्गत परिवारों की पहचान के पूरा होने तक राज्यों को खाद्यान्न कैसे आबंटित किए जाएंगें?

अधिनियम में यह प्रावधान है कि एनएफएसए के अंतर्गत कवरेज के लिए परिवारों की पहचान का कार्य पूरा होने तक विद्यमान टीपीडीएस के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारें खाद्यान्नों का आबंटन सतत प्राप्त करती रहेंगी।

9. क्या अधिनियम में उपलब्ध कराए गए कवरेज और हकदारियों के आधार पर कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न आबंटन विद्यमान टीपीडीएस के अंतर्गत उनके आबंटन से कम होगें? यदि ऐसा है तो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विद्यमान आबंटन का संरक्षण करने के लिए एनएफएसए में क्या प्रावधान किए गए हैं?

अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि किसी राज्य को अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्नों का वार्षिक आबंटन पिछले तीन वर्षों के खाद्यान्नों के औसतन वार्षिक उठान से कम है तो उसे बनाये रखा जाएगा। तदनुसार प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के लिए खाद्यान्नों का आबंटन निर्धारित किया गया है और अधिनियम की अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

10. एनएफएसए में खाद्य सुरक्षा के लिए अन्य हकदारियां क्या हैं?

टीपीडीएस के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की हकदारी के अतिरिक्त अधिनियम में गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं और बच्चों को पोषणाहार सहायता के लिए प्रावधान है। गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताए तथा छह महीने से चौदह वर्ष तक के बच्चे समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन (मिड-डे-मिल) स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित पोषणिक मानकों के अनुसार भोजन पाने के पात्र होंगे। छह वर्ष तक की आयु के कुपोषित बच्चों के लिए उच्चतर

पोषणीय मानक निर्धारित किए गए हैं।

गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार होंगी, जो 6,000 रूपए से कम नहीं होगा।

अधिनियम में गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं तथा 6 वर्ष तक के बच्चों की हकदारी के प्रावधान को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की हकदारियों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

11. यदि किसी लाभभोगी को हकदारी के खाद्यान्न अथवा भोजन नहीं दिया जाता है तो क्या होगा?

यदि हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्नों अथवा भोजन की हकदारी की मात्राओं की आपूर्ति नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

12. अधिनियम में शिकायतों का समाधान करने के लिए क्या तंत्र है?

अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी जिसमें कॉल सेंटर, हेल्प लाइन, नोडल अधिकारियों को नामित करना अथवा ऐसा कोई अन्य निर्धारित तंत्र, शामिल होगा।

इसमें यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जिला शिकायत निपटान अधिकारी (डीजीआरओ) के लिए एक अधिकारी को नियुक्त अथवा नामोद्दिष्ट करेगी जो अधिनियम के अंतर्गत हकदारियों को लागू करने और हकदारी के खाद्यान्नों अथवा भोजन के वितरण से संबंधित मामलों में असंतुष्ट व्यक्तियों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निपटान के लिए जिला शिकायत निपटान अधिकारी (डीजीआरओ) होगा।

इसमें यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा हेतु राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी।

राज्यों को विद्यमान मशीनरी का उपयोग करने अथवा पृथक तंत्र की स्थापना करने की स्वतंत्रता होगी।

13. डीजीआरओ के आदेश के खिलाफ अपील कहां की जा सकती है?

कोई शिकायतकर्ता अथवा अधिकारी अथवा प्राधिकारी जिसके खिलाफ डीजीआरओ द्वारा कोई आदेश जारी कर दिया जाता है, और जो शिकायत के निपटान से संतुष्ट नहीं है, तो वह राज्य खाद्य आयोग के समक्ष ऐसे आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है।

14. अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दण्ड लगाने का क्या कोई प्रावधान है?

अधिनियम में यह प्रावधान है कि राज्य आयोग द्वारा किसी शिकायत अथवा अपील का निर्णय करते समय कोई जनसेवक अथवा प्राधिकारी जिला शिकायत निपटान अधिकारी द्वारा सिफारिश की गई राहत को बिना किसी उचित कारण के अथवा जानबूझकर ऐसी सिफारिश की उपेक्षा करते हुए उपलब्ध न

कराने का दोषी पाया जाता है तो उस पर दंड लगाया जाएगा जो पांच हजार रूपए से अधिक नहीं होगा।

15. लाभभोगियों को हकदारियों की डिलीवरी के लिए कौन जिम्मेदार है?

केन्द्र सरकार की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों को टीपीडीएस के अंतर्गत और अन्य हकदारियों के संबंध में अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट मूल्यों पर खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा को केन्द्रीय पूल से आबंटित करने की है। केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्य में अपने द्वारा नामोद्दिष्ट डिपुओं पर आबंटन के अनुसार खाद्यान्नों की ढुलाई कराने के लिए भी जिम्मेदार है।

यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि केन्द्रीय सरकार के नामोद्दिष्ट डिपुओं से खाद्यान्नों की डिलीवरी उठा लें, प्रत्येक उचित दर दुकान तक खाद्यान्नों की डिलीवरी के लिए राज्य के अंदर आबंटन व्यवस्थित करें और टीपीडीएस के अंतर्गत हकदार व्यक्तियों के खाद्यान्नों का वास्तविक वितरण एवं आपूर्ति सुनिश्चित करें। उसी प्रकार महिलाओं और बच्चों के भोजन की हकदारियों के संबंध में राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि नामोद्दिष्ट डिपुओं से खाद्यान्नों की डिलीवरी उठा लें और लाभभोगियों को हकदारी लाभों की वास्तविक डिलीवरी सुनिश्चित करें।

16. एनएफएसए के कार्यान्वयन में पंचायतों, नगर निगम प्राधिकारियों जैसे स्थानीय प्राधिकारियों की क्या भूमिका है?

एनएफएसए में यह प्रावधान है कि स्थानीय प्राधिकारी अपने संबंधित क्षेत्रों में अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे और राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी को टीपीडीएस के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना द्वारा अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंप सकती है। इसमें यह भी प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालयों और विभागों की विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन करने में स्थानीय प्राधिकारी ऐसी ड्यूटियों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना के मार्फत उन्हें सौंपी जाएंगी।

———

परिशिष्ट - 1

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के अधीन राज्य-वार प्रतिशत कवरेज

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	% कवरेज	
		ग्रामीण	शहरी
	आंध्र प्रदेश	60.96	41.14
	अरुणाचल प्रदेश	66.31	51.55
	असम	84.17	60.35
	बिहार	85.12	74.53
	छत्तीसगढ़	84.25	59.98
	दिल्ली	37.69	43.59
	गोवा	42.24	33.02
	गुजरात	74.64	48.25
	हरियाणा	54.61	41.05
	हिमाचल प्रदेश	56.23	30.99
	जम्मू और कश्मीर	63.55	47.10
	झारखंड	86.48	60.20
	कर्नाटक	76.04	49.36
	केरल	52.63	39.50
	मध्य प्रदेश	80.10	62.61
	महाराष्ट्र	76.32	45.34
	मणिपुर	88.56	85.75
	मेघालय	77.79	50.87
	मिजोरम	81.88	48.60
	नागालैंड	79.83	61.98
	ओडिशा	82.17	55.77
	पंजाब	54.79	44.83
	राजस्थान	69.09	53.00
	सिक्किम	75.74	40.36
	तमिल नाडू	62.55	37.79
	तेलंगाना	60.96	41.14
	त्रिपुरा	74.75	49.54
	उत्तर प्रदेश	79.56	64.43
	उत्तराखंड	65.26	52.05
	पश्चिम बंगाल	74.47	47.55
	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	24.94	1.70
	चंडीगढ़	38.54	47.26
	दादरा एवं नगर हवेली	84.19	51.54
	दमन व दीव	26.66	56.47
	लक्षद्वीप	35.30	33.56
	पुडुचेरी	59.68	46.94
	भारत	**75.00**	**50.00**